

बर व
काम
म की
जा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा, जिला-भीलवाडा

पीठारी अधिकारी :- महीपाल सिंह, आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :- 122 / 2020 डा0फा

1. श्री काबू डा0 नगजी किमावट नि0 छापरीया खेडा (अंगाली) तहसीला-कोठ

--प्रार्थी।

बनाम

1. श्री जाशू नि0 जोदा किमावट नि0 छापरीया खेडा (अंगाली) तहसीला-कोठ

--विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: निर्णय ::

दिनांक: 19/10/2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0 भू0 राज0 अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अंगाली पटवार हल्का अंगाली मू0अ0नि0 क्षेत्र अंगाली में उनके खाता संख्या 1258 की आ0नं0 891 892 922 923 रकम 7.02 रु, खाली 158-1065 1066 1068 1069 1072 1079 3643/1072 रकम 8.00 रु, खाली 159-960 961 962 963 964 965 966 967 968 रकम 9.01 रु स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 18/8/2020 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हंरा-फेंरी होने का अदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेशः

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम अंगाली पटवार हल्का अंगाली मू0अ0नि0 क्षेत्र अंगाली में उनके खाता संख्या 1258 की आ0नं0 891 892 922 923 रकम 7.02 रु, खाली 158-1065 1066 1068 1069 1072 1079 3643/1072 रकम 8.00 रु, खाली 159-960 961 962 963 964 965 966 967 968 रकम 9.01 रु स्थित है। भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू.अ.नि0 अंगाली को 1650/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकिल बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल ब्रडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

फलंगन :- प्रार्थना पत्र प्रति।

उपखण्ड अधिकारी
करेडा (जिला भीलवाडा)

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेडा (जिला भीलवाडा)